राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सरदारमल बनाम सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/05/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित | पैरोकार सरकार अनुपस्थित | उन्हें निरन्तर आवाजे लगवायी गयी किन्तु वे अनुपस्थित रहें | अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 18/05/2026 को पेश हो |	
18/05/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि साबिक खसरा नं0-2495 रकबा 13 बीधा 2 बिरती तत्समय ग्राम खोरालाडखानी, तह. बैराठ, जिला जयपुर में स्थित थी जिसकी खातेदारी भगवान भूरिया पि. गोपाल कौम जाट सा.देह हि. बराबर अंकित थी नकल जमाबन्दी खतांती बन्दोबस्त सं.-2012 से 2027 संलग्न वाद पत्र है। साबिक खसरा नं.-2495 रकबा 13 बीघा 2 बिस्वा से हाल सेटलमेन्ट कार्यवाही में खसरा नं.-2622/1.55 है., 2623/170 किता 2 3.72 है० वाकै ग्राम हनुतपुरा उर्फ रूडी, पटवार हल्का खोलाडखानी, भू.अभि.नि. क्षेत्र खोलाडखानी, तह. शाहपुरा, जिला जयपुर कायम किये है जो साबिक के मुकाबले वादीगण का रकबा 0.06 है. भूमि पूर्वी दिशा की ओर कम करते हुए खसरा नं.-2621/4309/0.55 है. सिवाय चक भूमि खाता सं.-1 में अकित कर दी गई तथा भूमि की किस्म गैर.मु. नला अंकित कर दिया जो वादीगण के साबिक रकबा की 0.06 है. भूमि कम करते हुये हाल खसरा न.2621/4309 में अंकित कर दी जो काबिले दुरूस्ती है। वादी ने वादपत्र में आगे अंकित किया कि सेटलमेन्ट कर्मचारीयो अधिकारीयो को बिना सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय के आदेश के बिना साबिक रकबा को हाल रकबा में कम रकबा दर्ज करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था क्योंकि यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि भू-प्रबन्ध विभाग को केवल पुरानी एन्ट्रीज को नवीन रिकार्डम दर्ज करने का ही अधिकार था जबकि उन्होने बिना सक्षम प्राधिकारी की आज्ञा निर्णय डिकी में बिना वादीगण का रकबा कमी करते हुये साबिक नक्शा के खिलाफ वर्तमान नक्शा में गै. मु. नला दर्ज करते हुये नक्शा में तरमीम कर दी जबकि साबिक नक्शा में उक्त रकबा वादीगण की खातेदारी में रहा है तथा साबिक अनुसार पगमार्क के चिन्ह थे जिसे वर्तमान में सिवायचक दर्ज कर दिया जो काबिले दुरुस्ती है। साबिक खसरा नं0-2495 रकबा 13 बीधा 2 बिस्वा का मेट्रीक प्रणाली अनुसार (13.10-3.95-3.31 है.) रकबा होना था परन्तु लाल रिकार्ड में खसरा नं.-2622/1.55 2623/1.70 है० कुल 3.25 है। यानी परन्तु	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सरदारमल बनाम सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	950/2025	

हाल रिकार्ड में खसरा नं. खसरा नं.-2622/1.55 2623/1.70 है. कुल 3.25 है । यानी साबिक के मुकाबले हाल में 0.06 है. भूमि कम दर्ज की है जो काबिले दुरूस्ती है । वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई मर्तबा साबिक के अनुसार रिकार्ड की दुरुस्ती हेतु कहा परन्तु उन्होने गै. मु. नला की किस्म दर्ज होना कहकर टालते रहे कि यह भूमि आपके नाम नहीं हो सकती है जबकि वादीगण ने कई मर्तबा निवेदन किया हमारा रकबा कम हो गया है तथा भूप्रबन्ध कार्यवाही में हुआ है हमे आवंटन नहीं करवाया है परन्तु वे नहीं मान रहे तथा वादी सं.-1 के पुत्र के खिलाफ दफा-91 भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक-12.07.2021 को प्रश्नगत आराजी मुतनाजा के रकबा 0.06 है. की बेदखली व सजा हेतु नोटिस भिजवाया जबकि वादीगण अपने खातेदारी अधिकारो की भूमि पर शुरू से ही साधिकार काबिज काश्त है तथा प्रतिवादी ने वादीगण को बेदखल करने की धमकी दी है जिस कारण वादी को अपने विधिक अधिकारो की सुरक्षार्थ माननीय अदालत हाजा के समक्ष यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अन्त में निवेदन है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर एक निर्णय मय डिकी वाद बहक वादीगण बखिलाफ प्रतिवादी इस अमर की प्रदान की जावे कि हाल आराजी खाता स०-1 के खसरा नं0-2621/4309/055 हठ वाकै ग्राम हनुतपुरा उर्फ रुण्डी तह०शाहपुरा, जिला जयपुर में 10-2622 व 2623 के लगते पूर्वी हिस्सा पर खातेदारी घोषणा की जावे तथा वादीगण को 0.06 है. व खसरा साबिक अनुसार 0.06 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा में अमल दरामद किया जावे। अंकित करवाया जावे तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादी को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि हाल आराजी खसरानं0-2621/4309 का उत्तरी हिस्सा 0.06 है. में वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा नहीं करे ना ही वादीगण को जबरन बेदखल करे ।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | पैरोकार सरकार ने जवाब वाद पेश किया | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 14/05/2025 पारित करते हुये वादी का वाद पोषणीय नही होने व स्वच्छ हाथो से नही आना धारित करते हुये वादी का वाद ख़ारिज फरमा दिया गया | इससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सरदारमल बनाम सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	950/2025	

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों का विवेचित करते हुये वादीगण/अपीलार्थी का अपने वाद को सिद्ध करने में असफल रहना धारित कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से वाद ख़ारिज किया गया है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 14/05/2025 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थीगण अस्वीकार कर ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 18/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |